भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

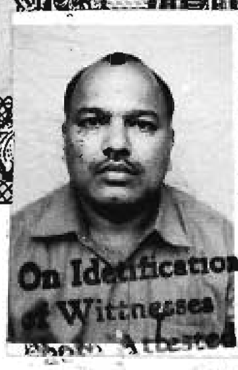

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916443

1

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 14,00,000/- रूपये। स्टाम्प अंकन 1,00,000/- रूपये।

विवरण विक्रय सम्पत्ति:- कृषि भूमिधरी के खाता नं0 25 के खेत नं0 112 रकबा 0.695 हैक्टेयर लगानी रूपये 18=55 पैसे सालाना के बकिया रकबे में से 2/5 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0.1396 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से नहीं है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 85,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कार्यालय उप निबन्धक
दादरी
2 DEC 2010
स्टाम्प नं० 70 रु० 25 मार्च
स्टाम्प नं० .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

बैनामा 1140000/- फीस रजि० 5000/-
उजरत 20/- योग 5020/- शब्द लगभग 600
श्री ....
पुत्र श्री .... पेशा व्यापार
निवासी ....
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनाँक 2/12/10 समय मध्य 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
2/12/08

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु० 1140000/- ....
जिसमें से ....
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त ....

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916444

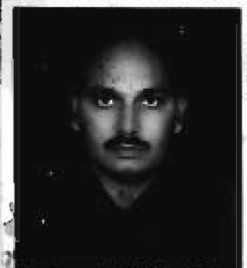

2

हम कि दयानन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द शर्मा व योगेश कुमार शर्मा व दिनेश कुमार शर्मा पुत्रगण स्व0 श्री कृष्ण दत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम दतावली, परगना व तहसील -दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर (विक्रेतागण, फरीक अव्वल)।

एवम्

मैसर्स मारवाड़ इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व0 श्री दाताराम त्यागी निवासी डी0-41, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के खाता नं0 25 के खेत नं0 112 रकबा 0.695 हैक्टेयर लगानी रूपये 18=55 पैसे सालाना के बकिया रकबे में से 2/5 भाग सम्पूर्ण अपना बेकदर 0.1396 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय

दयानन्द

कार्यालय उप ... दावरी

2 DEC [illegible]

स्टाम्प नं० 21 रू० 25 ...
स्टाम्प नं० 72 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

जिनकी पहचान श्री ... पेशा ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
ने की [illegible]

सब रजिस्ट्रार दावरी
2/12/00

दयानन्द

साक्षी भले प्रतीत होते है जिन्हे
अंगुष्ठ निशान नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक 2/12/00
दावरी, [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916445

3

भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 14,00,000/- (चौदह लाख रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 7,00,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कताई वय कर दी तथा समस्त

कार्यालय उप कोषाधिकारी
दादरी

2 DEC 2008

स्टाम्प नं० 72 रु० 2 भिन्न

स्टाम्प नं० 70 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

245410

[redacted]

...Identification of Witnesses Photo Attested

4

विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-2 DEC [illegible]

स्टाम्प नं0 23 रू0 [illegible]
स्टाम्प नं0 70 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 165496

कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

विवरण धन अदायगी :- अंकन 14,00,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

दयानन्द

95 … 3/1/08

[illegible] विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन …… रजि०

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ……

स्टाम्प की धनराशि ……

5000/-

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9– अवधि 31–3–2009

तहसील कम्पाउण्ड दादरी (जी०…)

बिक्री सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 165497

6

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

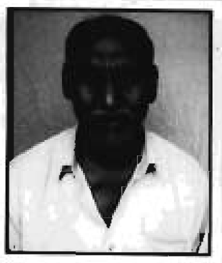

गवाह - 2

तारीख 02-12-2008 ई0 मसौदाकर्ता राधेश्याम अग्रवाल, बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाइसेन्स न0-1

96 21/7/08

[illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ----------

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ----------

स्टाम्प की धनराशि ---------- 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- अवधि 31-3-2009

तहसील कम्पाउण्ड दादरी।

बिक्री सीमा 15000/-

आज दिनांक 2/12/08 को फोटोस्टेट

प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड संख्या 1666

के पृष्ठ 161 से 174 पर क्रम संख्या 15193

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी